

दिनांक

आज्ञा पत्र

२००५/१६

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आज्ञा दिलाई गई न्यायालय सत्र सांयकाल ६:३० तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।



मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
षदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

